देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 802/भू अ० दिनांक : 3/11/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—बसवरिया, थाना—देवघर, थाना सं०—302, अंचल—देवघर, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर—मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—बसवरिया, थाना—देवघर, थाना सं०—302, अंचल—देवघर, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.52** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है —

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18	1347	रैयती	बाड़ी—2	0.05	नारायण राय वो भीमराय वो गाजो राय वो कुलो राय माता स्व0 रधीया देवी । सा० देह।	मौजा बारा टांड़	दाग नं0 1361, 1356, 1353, 1352, 1351, 1347	मौजा रोशन	मौजा बजर मरूवा
2	16	1348	रैयती	बाड़ी—2	0.05	सुकदेव राय वो सुरेन्द्र राय वो व्यास राय वो गौरी राय वो फाल्गुनी राय वो सच्चिदानन्द राय पे0 जालेश्वर राय वो महेन्द्र राय पिता स्व0 भरत राय।				
3	16	1350	रैयती	बाड़ी—2	0.03	शालीग्राम राय वो मुरलीधर राय पे0 स्व0 परमेश्वर राय वो विजय कुमार राय वो रमेश कुमार राय वो चन्द्र शेखर कुमार पिता स्व0 विष्णु राय। सा० देह।				
4	15	1349	रैयती	बाड़ी—2	0.04					
5	15	1353	रैयती	बाड़ी—2	0.05	तथैव				
5	17	1351	रैयती	बाड़ी—2	0.05	अहिल्या देवी पति स्व0 सुरज राय वो नूनमनी राय वो चानो देवी पे0 स्व0 कपील राय वो सुभाष राय वो जयदेव राय वो टेटुराय पे0 स्व0 विनो राय वो परमानंद राय पे0 स्व0 नकुलेश्वर राय वो अरूण राय पे0 बुटनेश्वर राय वो वालेश्वर राय पे0 सहदेव राय वो महावीर राय वो महादेव राय पे0 स्व0 सीताराम राय वो मंगल राय पे0 अयोध्या राय वो नाजीर राय पे0 छतरधारी राय वो भामावती देवी पति स्व0 युधिष्ठिर राय वो मुकेश राय पे0 भागेश्वर राय वो मजीस्टर राय पे0 अमीन राय वो आर्शीवाद राय पे0 काशीराय वो परशुराम राय वो रोहित राय वो त्रिपुरारी राय पे0 स्व0 अर्जून राय वो बैजनाथ राय पे0 स्व0 नागेश्वर राय। सा० देह।				

E:\2015 L.A (B.K.)\All Project For Road\Deoghar To Madhupur Road\Adhisuhna\3rd Time\Baswariya.Docx

03-11-2017

6	10	1352	रैयती	बाड़ी–2	0.05	जनार्दन राय वो प्रमोद राय पे0 रामदेव राय वो वासुदेव राय वो शिवनारायण राय वो नरेश राय वो दशरथ राय पे0 स्व0 जयधर राय वो सीता देवी पति स्व0 भोली राय वो नन्द किशोर राय वो गोपाल राय पे0 स्व0 अखिलेश्वर राय वो ममलेश्वर राय पे0 सत्यनारायण राय। सा० देह।				
	10	1354	रैयती	बाड़ी–2	0.10	तथैव				
	19	1356	रैयती	बाड़ी–2	0.10	खुबलाल राय वो मंगल राय पे0 स्व0 बिहारी राय। सा० देह।				
				कुल रकवा–	**0.52**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 28/10/17 — अपर समाहर्त्ता देवघर 03-11-2017 — 3/11/17 समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।

ज्ञापांक 802 / भू अ०, देवघर, दिनांक 3/11/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 28/10/17 — अपर समाहर्त्ता देवघर 03-11-2017 — 3/11/17 समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।